आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिले

तय से अधिक फीस वसूल की तो सीएससी संचालक पर होगी कार्रवाई

झज्जर। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए टीसी गुप्ता। फोटो :हरिभूमि

हरिभूमि न्यूज ▶▶ झज्जर

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि नागरिक सुविधा केंद्रों पर संचालकों द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे लिए जा रहे है। राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसीगुप्ता ने कहा कि जिला में अटल सेवा केंद्र संचालक सरकारी सेवाओं के लाभ हेतु यदि निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूल करता है तो

■ सभी सीएससी संचालकों पर नजर रखी जाए

जांच करके संबंधित सीएससी का लाईसेंस कैंसिल किया जाए। राजकीय महाविद्यालय के सभागर में विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों द्वारा सीएससी सेंटर संचालकों द्वारा अधिक फीस वसूल करने की शिकायत पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएससी संचालक किसी भी रूप से यदि सरकारी फीस से अधिक फीस लेता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिले इसके लिए मोनिटरिंग बेहद जरूरी है, ऐसे में सभी सीएससी संचालकों पर नजर रखी जाए कि कोई सरकारी फीस अधिक न वसूले। उन्होंने कहा कि जिला में विभागीय स्तर पर सरकारी सेवाओ का लाभ अच्छी तरह से निर्धारित समयावधि में दिया जा रहा है। जिसके लिए जिला प्रशासन की कार्यशैली सराहनीय है।

जन संतुष्टि दर में बढ़ोतरी करते हुए आवेदन रिजेक्शन रेट में लाएं कमी

झज्जर। नागरिकों को निर्धारित समयावधि में जनसेवा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ऐसे में सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समयसीमा के भीतर लाभ मिले। वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है। यह बात राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं व योजनाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रोत्साहित किया और कहा कि निर्धारित समयावधि में कार्य करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट में आम जिंदगी से जुड़ी 546 सेवाएं अधिसूचित है। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वेबसाईट हरियाणा-आरटीएस जीओवी.इन पर उपलब्ध है। सेवाओं के साथ स्कीम की जानकारी भी इस वेबसाईट पर दी गई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोड़ने या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए आरटीएस-एचआरवाईएटजीओवी.इन पर ई-मेल कर सकते हैं।

झज्जर। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए टीसी गुप्ता।